>

Title: Need to ensure compliance of guidelines framed for allocation and expenditure of funds towards the components of Corporate Social Responsibility by Central Public Sector Enterprises.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): जैसाकि सर्वविदित है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईजेज की सभी कंपनियों को सीएसआर कमेटी बनाना आवश्यक है, जिसका कार्य कंपनी के लाभ के कुछ हिस्से को सामाजिक सुधार में खर्च सुनिश्चित करना है। ऐसा पाया गया है कि कुछ कंपनियों द्वारा सरकार के सीएसआर दिशा−निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा पिछले सत्र में सीएसआर को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब चौंकाने वाला है, जिसमें बताया गया है कि कुछ नवरत्न जैसी बड़ी कंपनियां भी सीएसआर के तहत बजट अत्याधिक कम मात्रा में आवंटित कर रही हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ कंपनियां बजट तो आवंटित कर रही हैं, पूर्ण मात्रा में खर्च नहीं कर रही हैं।

वर्तमान में सीएसआर निर्देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक उद्यम विभाग द्वारा सीएसआर के दिशा−निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जाए तथा इस मद का अधिकांश हिस्सा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाए।